तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामकिशन बनाम सार्दुल प्रार्थना–पत्र संख्या 111/16 (16/19)	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
04.07.2023	पत्रावली पेश हुई। उभय–पक्ष अभिभाषक उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद पत्र अंर्तगत धारा 88,188,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का मय प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मदारपुरा पटवार हल्का रसूलपुरा भ.निरी. क्षेत्र गगवाना तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित खाता संख्या नया 199 पुराना 178 में अवस्थित खसरा संख्या 390 रकबा 0.11, 391 रकबा 0.08, 392 रकबा 0.17 कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 हैक्टर बाबत प्रार्थी का 1/5 निहित है तथा उक्त आराजीयात बाबत प्रार्थी व अप्रार्थी गण के मध्य बाइ मीट्स एंड बाउंड बंटवारा नहीं हो रखा है तथा अप्रार्थी संख्या 02 के मन में बदनियती आने से अप्रार्थी संख्या 02 उक्त आराजीयात को उंचे दामों पर बेचने पर सख्त आमदा हो रहा है तथा विवादित आराजीयात बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाना न्यायोचित है। उक्त आशय का अंतरिम अस्थायी निषेघाज्ञा प्रार्थना–पत्र हाजा न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.10.2016 को प्रस्तुत किया, जिस बाबत हाजा न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण आगामी पेशी तक जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा से पाबंद करने का आदेश प्रदान किया। तत्पश्चात आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.11.2016 अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित हुए व अप्रार्थी संख्या 01 बाद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात दिनांक 17.01.2017 को अप्रार्थी संख्या 03/01 से लगायत 03/03 को बाद नोटिस तामिली होने के उपरांत उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात विवादित आराजीयत दिनांक 19.05.2017 को हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित 20.10.2016 को जारी की गई अस्थायी निषेघाज्ञा कंर्फम किये जाने के आदेश प्रदान किया। जिसके विरूद्व अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के समक्ष एक अपील संख्या 303/2019 प्रस्तुत की, जिस बाबत अपील न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.03.2019 को आदेश प्रदान कर हाजा न्यायालय को विवादित आराजीयात बाबत प्रथमदृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन, अपूर्णीनीय क्षति बाबत सभी पक्षकारकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनःनिर्णय किये जाने का आदेश प्रदान किया। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में हाजा न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को दिनांक 04.06.2019 को पुनः दर्ज रजिस्टर किया। उभयपक्ष अभिभाषक के निवेदन पर उन्हें उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा अंर्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी 1955 पर सुना गया। वादी/प्रार्थी अभिभाषक ने अपने द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजीयात में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा निहित है तथा प्रार्थी की माता श्रीमती पानी पत्नी मेवा गुर्जर का निधन हो चुका है तथा प्रार्थी की माता के हक एवं अधिकार में 1/5 हिस्सा निहित है तथा प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपने हक एवं अधिकारों की उद्घोषणा हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत कर दिया है तथा श्रीमान् न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात बाबत उक्त अस्थायी निषेघाज्ञा प्रस्तुत करने दिनांक	

Scanned with OKEN Scanner

20.10.2016 को अप्रार्थी गण को अंतरिम निषेघाज्ञा आराजीयात में प्रार्थी का हक एवं हिस्सा निहित है तथा विवादित आराजीयात बाबत अस्थायी निषेघाज्ञा के तीनों बिंदु प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीनीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थी के पक्ष में होने से विवादित आराजीयात बाबत ता–फैसला मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी गण को पाबंद किया जावे।

जबाब में अप्रार्थी संख्या 02 के अभिभाषक ने हाजा न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजीयत बाबत उक्त अस्थायी निषेघाज्ञा का प्रार्थना–पत्र असत्य एवं मनगंढत तथ्यों के आधार पर रचित किया जो कि निरस्त किये जाने बाबत है। ग्राम मदारपुरा के साबिक खसरा नंबर 289 जिसके वर्किंग खसरा नंबर 669 आधारभूत खसरा नंबर 390 व 391, 392 मूर्तिब किये गये। उक्त भूमि जबाब कुनिंदा सरदारा के पिता मेवा की खरीदशुदा भूमि होकर स्वअर्जित भूमि जिसे मेवा जी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 12.01.2006 को खसरा नंबर 669 रकबा 11 बिस्वा दिनांक 06.06.2006 को 01 बीघा 13 बिस्वा की वसीयत सरदार के पक्ष में निष्पादित कर दी तथा जवाब कुनिंदा के पिता के निधन के पश्चात उक्त आराजीयत वसीयत अनुसार जवाब कुनिंदा ही मोके पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी का उक्त आराजीयात से कोई लेना देना इत्यादि नहीं है तथा उक्त वसीयत के आधार पर नामातंरण संख्या 279 सरदार के पक्ष में तस्दीक किया जा चुका है। इस प्रकार से जवाब कुनिंदा के पक्ष में उसके पिता द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत पर साक्ष्य के रूप में सरदारा के दो भाईयों के हस्ताक्षर है तथा प्रार्थी/रामाकिशन के द्वारा जरिये एफआईआर संख्या 40/2007 पर पूर्ण जांच की जाकर एफआर लगा दी गई है। इस प्रकार से प्रार्थी द्वारा श्रीमान के समक्ष विवादित आराजीयात बाबत उक्त राजस्व वाद तथा उक्त राजस्व वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा अंर्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी 1955 के तथ्यों को छिपाते हुए श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अस्थायी निषेघाज्ञा अंर्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को सव्यय खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

हमने उभय पक्ष अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों अधोपांत का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजीयात में नये खसरा नंबर 390 रकबा 0.11,391 रकबा 0.08, 392 रकबा 0.17 हैक्टयर बाबत अपनी पैतृक संपत्ति में हक एवं हिस्से बाबत राजस्व वाद तथा उसके साथ उक्त अस्थायी निषेघाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया परंतु विवादित आराजीयात बाबत रजिस्र्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.05.1964 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के पिता मेवाराम पुत्र खाजू की स्व अर्जित संपत्ति है जिसका की उन्हें रहन, बैचान, मुंतकिल, विक्रय, वसीयत इत्यादि किये जाने का हक एवं अधिकार था तथा मेवाराम द्वारा विवादित आराजीयात में अपने हक एवं अधिकारों के अनुसार ही अप्रार्थी संख्या 02 सरदार पुत्र मेवा के पक्ष में जरिये रजिस्र्ड वसीयत के आधार पर उक्त आराजीयात को सरदार पुत्र मेवा को प्रदान की गई है तथा जबाब कुनिंदा/अप्रार्थी सरदारा के द्वारा उक्त रजिस्र्ड वसीयत के आधार पर संबधित तहसीलदार, अजमेर के समक्ष नामांतरण प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिस बाबत संबंधित तहसीलदार, अजमेर द्वारा विवादित

Scanned with OKEN Scanner

आराजीयात बाबत सार्वजनिक सूचना जारी कर आपत्तियां आमंत्रित करने के उपरांत ही उक्त रजिस्र्ड वसीयत दिनांक 12.01.2006 व 06.02.2006 को विधिनुसार सरदारा के पक्ष में नामांतरण तस्दीक किये जाने का आदेश दिनांक 05.10.2016 को पारित किया। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 ने माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के दौरान नामांतरण खुलवाया है। पत्रावली मय दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा नामांतरण दिनांक 05.10.2016 को खुलवाया गया तथा इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20.10.2016 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की गई थी, तथा प्रार्थी द्वारा उक्त रजिस्र्ड वसीयत को आज दिनांक तक सक्षम न्यायालय (सिविल न्यायालय) में चुनौती प्रदान कर निरस्त नहीं करवाया गया तथा प्रार्थी द्वारा सभी तथ्यों से भलीभांति परिचित होने के उपरांत हाजा न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाते हुए उक्त अस्थायी निषेघाज्ञा का अंर्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकार 1955 प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से अस्थायी निषेघाज्ञा के तीनों बिंदु प्रथमदृष्टया प्रकरण जो कि प्रार्थी के पक्ष में नही है, क्योंकि विवादित आराजीयात की जमाबंदी वसीयतनामा से अप्रार्थी संख्या 01 सरदारा के नाम है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है, अप्रार्थी रिर्कोडेड खातेदार है व रिर्कोडेड खातेदार होने से अप्रार्थी अपने खुद के हिस्से का बेचान करने हेतु स्वतंत्र है एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में किसी भी प्रकार से साबित नहीं होने के कारण उक्त अस्थायी निषेघाज्ञा अंर्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विधि संगत नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवाक्षी खांडल)
सहायक कलक्टर(मु0)
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner